न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 78 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

1. राणाराम पुत्र गुमनाराम वगै. बनाम 1.धूड़ाराम पुत्र बगताराम वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री श्रवण प्रजापत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री श्रवणकुमार चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के कायम मुकाम व 04, 05 की ओर से।
3. वकील श्री कैलाश एन सारण रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–14.09.2022

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर वहस करते हुए वताया कि आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा धारा 42 वी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से विधि एवं नियमों के प्रतिकूल होने से शून्य निर्णय की श्रेणी में आता है एवं शून्य निर्णय की अपील करने हेतु कोई परिसीमा नहीं है। आलौच्य निर्णय व डिक्री पर्चा दिनांक 18.04.1963 को पारित किया गया है, जिसकी पूर्व में अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। कि माह मई 2018 में उतरदातागण ने अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर वादग्रस्त आराजी में 120 वीघा भूमि नये खसरा नं. 337 / 257 के रूप में अपनी खातेदारी में दर्ज होना जाहिर कर वादग्रस्त आराजी पर अपीलाकर्तागण को वेदखल कर स्वयं का कब्जा करने हेतु प्रयासरत हुये। जिस पर अपीलांटगण द्वारा राजस्व न्यायालय में आलौच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी के अभाव में राजस्व वाद पेश किया गया। जिसमें उतरदातागण द्वारा जवावदावा पेश किया जिसकी प्रति अपीलांट को दिनांक 04.02.2020 के प्राप्त हुई। किन्तु भारत सहित विश्व स्तर पर कोरोना महामारी भयंकर रूप में फैल जाने के कारण अपीलांट द्वारा दिनांक 17.08.2020 को अपने अधिवक्ता से संपर्क कर आलौच्य निर्णय व डिक्री पर्चा की नकल हेतु आवेदन पेश किया। जो नकल अपीलांट को दिनांक 07.01.2021 को प्राप्त हुई एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोरोना महामारी के चलते भारतीय परिसीमा अधिनियम में भारी छूट देते हुए आज

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिन तक अपील पेश करने की स्वतंत्रता प्रत्येक पक्षकार को स्वमोटो प्रसंज्ञान आदेश पारित कर प्रदान की है। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी विंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

BANWARILAL VRS CHANDODEVI
RRT 2013(1) Page 426
RRT 2008(2) Page 1197
RRT 2008(1) Page 683
RRT 2013(2) Page 936
RRT 2013(2) Page 924
RRT 2005(2) Page 849
RRT 2002(2) Page 832
RRT 2002(1) Page 578

वकील रेस्पोडेंट संख्या 03 ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट/प्रार्थीगण को विधि प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों अनुसार अपीलकर्ता को उक्त हस्तगत अपील पेश करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता/प्रार्थीगण स्वयं अपील के पद संख्या 02 में स्वीकार कर रहे है कि हस्तगत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.04.1963 जो पक्षकारों के बीच सहमति/समझौता से डिक्री पारित की गई है तब सी पी सी 1908 की धारा 96(3) अनुसार पक्षकारों की सहमति से पारित डिक्री की अपील नहीं होगी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 42 में केवल विक्रय दान या वसीयत को ही शून्य माना गया है जिसमें डिक्री के माध्यम से खातेदारी आसामी के हित को हस्तान्तरित करने के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अपीलकर्ता/प्रार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.04.1963 की जानकारी पूर्व में इनके पूर्वजों को निर्णय पारित होने पर तत्पश्चात निर्णय पर पारित म्यूटेशन पर तथा वक्त सेटलमेंट से उतरदातागण के पूर्वजों का कब्जा काश्त होने से जो लगातार आज दिन तक जारी है उसके पश्चात अपीलकर्तागण के पूर्वज राणाराम व गेनाराम की फौतगी पर खसरा नम्बर 257 में भरा गया नामान्तकरणों पर तथा विप्रार्थीगण के पूर्वजो धुड़ाराम व मंगनाराम की फौतगी पर खसरा नम्बर 337/257 में पारित नामान्तकरणों पर विक्रय पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण पारित करने से पूर्व आपतिया आमंत्रित की जाती है उन आपतियों से भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलकर्तागण को उक्त विवादित निर्णय व डिक्री की जानकारी हो गई थी तथा अपीलकर्तागण की भूमि मूल खसरा नम्बर 257 तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 337/257 दोनों सट्टे हुए है और विवादित आराजी में वक्त रोटलमेंट से ही कब्जा व काश्त विप्रार्थीगण का होने से इनको पूर्णतया जानकारी है तथा अपीलकर्तागण के द्वारा अपनी भूमि पर वर्षों से समय समय पर सरकारी सहायता, अनुदान, सोसायटी ऋण व कृषि ऋण बैंको से प्राप्त किये जा रहे है। उक्त सरकारी सहायता व ऋणों में प्रत्येक वर्ष भूमि की जमाबंदी व नक्शे की आवश्यकता होती है जिससे प्रथम दृष्टया साबित है कि अपीलकर्तागण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय से हो चुकी थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत को पठन का निवेदन किया:–

AIR 2006 SC Page 2628
AIR 2020 SC Page 2111
AIR 2014 SC Page 3070
RRT 2013(1) Page 125
RRD 2006 Page 366
RRT 2014(1) Page 502
RLW 2006(2) Page 919
DNJ 2012(2) Page 781
RRT 2010(2) Page 801
RRT 2011(2) Page 851
RRT 2022(1) Page 165

रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के कायम मुकाम व 04, 05 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण का धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाकर अपील को इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.1963 को हस्तगत प्रकरण में दोनों पक्षों की उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 42 में केवल विक्रय दान या वसीयत को ही शून्य माना गया है जिसमें डिक्री के माध्यम से खातेदारी आसामी के हित को हस्तान्तरित करने के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 57 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

(प्रतिभा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर